दिनांक 4/9/25 को पेश हो।

प्रकरण 21/2023, गोविन्द सिंह बनाम हरगोविन्द सिंह वगैरा
2023/72 दिनांक 4/9/25

4/9/25 — पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित हैं। तहसीलदार रामपुरा द्वारा बटवारा प्रस्ताव की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई जो सही पाई गई। जिसमें भाग 2.54 रकबा 0.34 है। मौके पर वादी गणों एवं कब्जे की स्थिति में मिलता है। मौके पर बाड़े एवं मकान बनाकर आबादी बनी हुई है। मौके पर वादीगणों द्वारा बटवारा तैयार करने से मना किया।
वादीगणों द्वारा बटवारा नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फौरन सुधार होकर नम्बर से बंद हो।

उक्त वादपत्र वादीगण नहीं [illegible]

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रामपुर